पत्रांक–13 / मु0 09–57 / 2025...................... /

बिहार सरकार

<u>शिक्षा विभाग</u>

प्रेषक,

विजय कुमार, (भा0प्र0से0)
निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
मगध प्रमंडल, गयाजी।

पटना, दिनांक–............................ /

विषय :– **माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–9016 / 2025 में पारित आदेश के अनुपालन में भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक को समूह–'घ' के रिक्त पदों के विरूद्व विभागीय संकल्प संख्या–945 दिनांक 27.04.2017 में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तों के तहत समायोजन / नियुक्ति हेतु नाम प्रेषित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **आपका पत्रांक 206 दिनांक 18.02.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्राप्त रिक्ति के आलोक में निम्नांकित भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक को समूह–'घ' के रिक्त पदों पर समायोजित / नियुक्त करने हेतु अनुशंसा भेजी जा रही है:–

क्र0 सं0	भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का नाम	वर्त्तमान पता	जन्मतिथि	जाति / कोटि	गृह जिला	योग्यता
1	श्री उत्तम कुमार वर्मा	पिता–कमल प्रसाद, ग्रम–मसहा नरोतम, पो0–बेंगाही, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी 843313	15.01.1970	सामान्य	सीतामढ़ी	मैट्रिक
2	श्री रामू बैठा	पिता–देवधारी बैठा, ग्राम+पो0–अशोगी, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी 843313	09.10.1971	अनुसूचित जाति	सीतामढ़ी	इन्टर
3	श्री रामस्नेही महतो	पिता–मोहीपाल महतो, ग्राम–मसहा नरोतम, पो0–बेंगाही, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी 843313	10.111977	अ0पि0व0	सीतामढ़ी	इन्टर
4	श्री सुखारी राम,	पिता–रामऔतार राम, ग्राम–मसहा नरोतम, पो0–बेंगाही, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी 843313	07.07.1966	अनुसूचित जाति	सीतामढ़ी	इन्टर
5	श्री राम विनय ठाकुर	पिता–खेहरु ठाकुर, ग्राम+पो0–अशोगी, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी	02.12.1966	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	सीतामढ़ी	मैट्रिक
6	श्री वियजेन्द्र कुमार	पिता–काशी प्रसाद, ग्राम–जवाहर नगर, वार्ड न0–02, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी	25.12.1967	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	सीतामढ़ी	मैट्रिक

2. उक्त अनुदेशकों का माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 संख्या–1489/2011 एवं सिविल रिव्यू संख्या–344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–32079/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प संख्या 945 दिनांक 27.04.2017 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रमुख शर्त्तों के अधीन प्राख्यापित शर्तों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय। ज्ञातव्य हो कि विभागीय संकल्प संख्या 945 दिनांक 27.04.2017 के प्रमुख शर्तें निम्नवत् हैः–

(i) समायोजन के लिए समूह–'घ' के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विहित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक एवं समकक्ष उत्तीर्ण होगी।

(ii) समायोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्षांत की जायेगी, परन्तु वैसे अनुदेशक समायोजन के योग्य होंगे, जिनकी सेवानिवृति की आयु (60 वर्ष) शेष है, अर्थात् 60 वर्ष की आयु पूर्ण करनेवाले नियुक्त नहीं होंगे।

(iii) संबंधित व्यक्तियों का समायोजन नयी नियुक्ति के माध्यम से किया जायेगा तथा समायोजित पद के न्यूनतम प्रक्रम पर वेतन का भुगतान किया जायेगा।

(iv) समायोजित व्यक्तियों पर राज्य में प्रवृत्त नई पेंशन योजना लागू होगी तथा पूर्व की सेवा के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

3. संबंधित व्यक्ति को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आई०डी० कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, जिससे संलग्न सूची में अंकित विवरणी की सम्पुष्टि की जा सके एवं उनकी पहचान की जा सके।

4. संबंधित व्यक्ति के द्वारा पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर संबंधित कार्यालय में अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण–पत्र, उम्र एवं जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं एक सेट स्व अभिप्रमाणित/अभिप्रमाणित छाया–प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

5. संबंधित व्यक्ति को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण–पत्रों/जाति/उम्र प्रमाण–पत्र की जाँच नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर पर की जायेगी।

6. संबंधित व्यक्ति को प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के माध्यम से प्रमाणित शपथ पत्र (Affidavit) देना होगा किः–

(i) उनकी जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र,

(ii) योग्यता का प्रमाण–पत्र एवं

(iii) समायोजन हेतु माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभाग द्वारा निर्धारित शर्त्तों को पूरा करने संबंधी साक्ष्य एवं अन्य सभी सूचना उनकी जानकारी में सही है।

7. प्रासंगिक मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका संख्या–9016/2025 में दिनांक 05.05.2026 को पारित आदेश के अनुपालन से संबंधित है। संबंधित अभ्यर्थी को समायोजित किये जाने के संबंध में सीतामढ़ी जिला में गठित त्रिसदस्यीय कमिटि की अनुशंसा प्राप्त है।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार संबंधित अनुदेशकों को यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकें।

विश्वासभाजन,
ह०/–

(विजय कुमार)
निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव।
बिहार, पटना।

E/Ranikumari/letter/all Letter 2024 director-Anil sir new

ज्ञापांक– 13/मु0 09–57/2025...510...../ पटना/दिनांक– ...05/06/26...

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), सीतमामढ़ी/श्री उत्तम कुमार वर्मा, पिता–कमल प्रसाद, ग्प्रम–मसहा नरोतम, पो0–बेंगाही, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी 843313/श्री रामू बैठा, पिता–देवधारी बैठा, ग्राम+पो0–अशोगी, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी 843313/श्री रामस्नेही महतो, पिता–मोहीपाल महतो, ग्राम–मसहा नरोतम, पो0–बेंगाही, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी 843313/श्री सुखारी राम, पिता–रामऔतार राम, ग्राम–मसहा नरोतम, पो0–बेंगाही, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी 843313/श्री राम विनय ठाकुर, पिता–खेहरु ठाकुर, ग्राम+पो0–अशोगी, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी/श्री वियजेन्द्र कुमार, पिता–काशी प्रसाद, ग्राम–जवाहर नगर, वार्ड न0–02, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबासाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay 5/6/26

निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव।
बिहार, पटना।

E/Ranikumari/letter/all Letter 2024 director-Anil sir new